झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND, RANCHI

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सं-झाकेवि/रा.प्र./वि.हि.ग.स./2022-23/02/1511/1538

दिनांकः 13 सितंबर, 2023

सूचना

सूचित किया जाता है कि इस वर्ष से राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक कामकाज करनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा **'विश्वविद्यालय हिंदी गौरव सम्मान-2023'** से सम्मानित किया जाना है। सभी अनुभागों/विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस सम्मान हेतु चयन से संबंधित प्रारूप को भरकर और अपने संबंधित अधिकारी से सत्यापित करवा कर **दिनांक 18 सितंबर,2023** तक राजभाषा प्रकोष्ठ में अवश्य जमा करा दें।

आवेदन का प्रारूप और इस सम्मान हेतु पात्रता एवं मानदंड से संबंधित निर्देश संलग्न है।
यह सूचना माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

कै.के.शुक्ल 13/09/2023

कुलसचिव

प्रतिलिपिः सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. सभी स्कूल के डीन
2. डीन (शैक्षणिक) डीन ,(आर एंड डी) निदेशक ,(आइक्यूएसी)
3. छात्र कल्याण चीफ प्रोक्टर /
4. सभी स्कूल के विभागाध्यक्ष
5. उप-कुलसचिव-I,II/कुलसचिव.सहा/जनसंपर्क अधिकारी /
6. भंडार व क्रय(प्रभारी)संपदा अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी/
7. कुलपति के निजी सचिव
8. कुलसचिव के निजी सचिव
9. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
10. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी /
11. तकनीकी कक्ष – विश्वविद्यालय वेबसाइट
12. संबंधित फाइल
13. सूचना पट्टगार्ड फाइल/

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND, RANCHI

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

'विश्वविद्यालय हिन्दी गौरव सम्मान' हेतु आवेदन का प्रारूप

(केवल समूह 'ख'/ ग कर्मचारी के लिए)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पदनाम :
3. अनुभाग/विभाग :
4. वर्ष (01सितंबर, 2022 से 30 अगस्त, 2023 तक) :
5. हिन्दी में किए गए कार्यो का विवरण (कुल शब्द) :

एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त जानकारी की जाँच कर ली हैं और यह पूर्णतः सही हैं।

कर्मचारी / अधिकारी का हस्ताक्षर

सत्यापित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

नोट:- अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी संबंधी कार्य विवरण देते हुए यह ध्यान रखें कि उनके फाइलों तथा पत्राचारों में मूल रूप से हिन्दी में किये गए कार्य हो। दिए गए कुल शब्दों के विवरण की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों की ही होगी।

'विश्वविद्यालय हिन्दी गौरव सम्मान' हेतु पात्रता और मानदंड निम्नलिखित है:-

1. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी इसके पात्र होंगे
2. इस सम्मान के लिए वैसे कर्मचारी/ अधिकारी पात्र नहीं होंगे जो हिंदी विभाग/ राजभाषा प्रकोष्ठ से संबंध रखते हो।
3. इसके लिए अधिकारियों/ कर्मचारियों को विगत वर्ष में उनके द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की जानकारी देनी होगी।
4. इस सम्मान के लिए वैसे अधिकारी/कर्मचारी पात्रता रखते हैं जो:
   क. मूल टिप्पण और प्रारूपण का कार्य हिन्दी करते हो,
   ख. रजिस्टर हिंदी में दर्ज करते हो,
   ग. हिंदी में सूची तैयार करते हो,
   घ. लेखा का काम हिंदी में करते हो,
5. विश्वविद्यालय के वैसे अधिकारी/ कर्मचारी इस सम्मान के पात्र होंगे जो एक वर्ष में अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग हिंदी लेखन में करते हो। (राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने 'क' और 'ख' क्षेत्र के लिए कम से कम प्रति वर्ष में 20 हजार शब्द निर्धारित किए हैं।)
6. विश्वविद्यालय के अधिकारी/ कर्मचारी अपने द्वारा किए गए हिंदी में कार्यों का विवरण प्रत्येक वर्ष देंगे। उन्हें इस सम्मान के लिए विगत वर्ष के 01 सितंबर से आगामी वर्ष के 15 अगस्त तक सत्यापित प्रारूप में भर कर जमा करना होगा। जैसे 2023 के सम्मान के लिए अधिकारी/ कर्मचारियों को 01 सितंबर 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक अपने हिंदी संबंधी कार्यों की जानकारी देनी होगी।
7. अधिकारी/ कर्मचारी को अपने कार्य संबंधी जानकारी राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा दिए गए प्रारूप में भरकर प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त तक हिंदी प्रकोष्ठ में जमा करना होगा। यह प्रारूप उस अधिकारी/ कर्मचारी के द्वारा और उसके रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
8. इस वर्ष (2023) अधिकारी/ कर्मचारी को 18 सितंबर 2023 तक अपना आवेदन राजभाषा प्रकोष्ठ में जमा करना होगा।
9. यह सम्मान प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उस अधिकारी/ कर्मचारी को दिया जायेगा जिसने हिंदी में सर्वाधिक कार्य किया हो।